भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2462
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 19 मार्च, 2015 को दिया जाना है

बिजली उपकरण निर्माता उद्योग में कच्चे माल की कमी

2462. श्री सी.एम.रमेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अत्यावश्यक आदानों/कच्चे माल की घरेलू स्तर पर उपलब्धता की कमी के कारण घरेलू बिजली उपकरण निर्माता उद्योगों का विकास बाधित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। घरेलू उद्योग द्वारा इलेक्ट्रिकल उपकरण के विनिर्माण में उपयोग किए जा रहे कतिपय अत्यावश्यक आदानों/कच्चे माल जैसे कि बीआईएस 3024 के अंतर्गत कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड (सीआरजीओ) इस्पात (ट्रांसफार्मर्स के विनिर्माण में प्रयुक्त) और बीआईएस 2002 के अंतर्गत 150 एमएम से अधिक मोटाई की स्टील प्लेट्स (जेनरेटर्स के विनिर्माण में प्रयुक्त) भारत में बनाई/विनिर्मित नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अत्यावश्यक आदानों/कच्चे माल की आवश्यकता को भारत से बाहर कुछेक विश्वव्यापी विनिर्माताओं से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ख): भारी उद्योग विभाग ने घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के भावी विकास को बढ़ावा और सहायता देने तथा इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री मिशन प्लान 2012-2022 तैयार किया है। 24 जुलाई, 2013 को शुरू किए गए इस मिशन प्लान ने सीआरजीओ के घरेलू उत्पादन के लिए भारत में प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु घरेलू स्टील विनिर्माताओं और प्रयोक्ता उद्योगों का एक संघ बनाने की अनुशंसा की है। इसके अलावा, सीआरजीओ स्टील के स्वदेशी निर्माण के मुद्दे पर भारी उद्योग विभाग, इस्पात मंत्रालय और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) के बीच हुई विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है जिसमें विभिन्न संबंधित हितधारकों ने भाग लिया था।

****